

BROADCAST CHANNELS PRICE WAR

The television channels are all pleased with the NTO 2.0 and are set to unleash the next phase of price war.

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) on 3rd March, 2017 notified the new regulatory framework to ensure orderly growth of the Broadcasting and Cable TV Sector after a consultation process that lasted for more than one and a half year. This was necessitated by the complete digitization of Cable TV networks in India. The framework comprised of following Tariff Order and Regulations:

- i. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 (Tariff Order 2017);
- ii. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (Interconnection Regulations, 2017);
- iii. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (QoS Regulations, 2017).

Hereinafter, the above two Regulations & the Tariff order are collectively referred to as 'the Framework.'

However, the framework could not be implemented as per the proposed timelines due to legal challenges. After passing legal scrutiny in Hon'ble High Court Madras and Hon'ble Supreme Court, 'the framework' came into effect from 29th December 2018. Collectively the three determinations completely overhauled the regulatory framework for the Sector. Given the size and structure of the Sector and the changes that 'the framework' entailed, it was imminent that there could be some transient issues.

TRAI carried out a consumer survey during July and August 2019 through an agency. The survey results



Telecom Regulatory Authority of India
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

प्रसारण चैनल मूल्य युद्ध

सभी टेलीविजन चैनल एनटीओ 2.0 से खुश हैं और कीमत युद्ध के अगले चरण को शुरू करने के लिए तैयार हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 3 मार्च 2017 को डेढ़ साल से अधिक समय तक चलने वाली परामर्श प्रक्रिया के बाद प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्र की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नये नये नियामक ढांचे को अधिसूचित किया। भारत में केबल टीवी के पूर्ण डिजिटलीकरण के कारण यह आवश्यक हो गया था। ढांचे में निम्नलिखित टैरिफ आदेश और विनियम शामिल हैं:

- i. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश 2017 (टैरिफ आदेश 2017)
- ii. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम 2017 (इंटरकनेक्शन विनियम 2017)
- iii. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम 2017 (क्यूओएस विनियम 2017)

इसके बाद, उपरोक्त दो विनियमों और टैरिफ आदेश को सामूहिक रूप से ढांचे के रूप में संदर्भित किया जाता है।

हालांकि कानूनी चुनौतियों के कारण प्रस्तावित समय सीमा के अनुसार ढांचे को लागू नहीं किया जा सका। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी जांच पारित करने के बाद, 'फ्रेमवर्क' 29 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुआ। सामूहिक रूप से तीन निश्चियों ने इस क्षेत्र के लिए नियामक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। सेक्टर के आकार और संरचना और फ्रेमवर्क में हुए परिवर्तनों को देखते हुए यह आसन्न था कि कुछ अस्थायी मुद्दे हो सकते हैं।

ट्राई ने जुलाई और अगस्त 2019 के दौरान एक एजेंसी के जरिए उपभोक्ता सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के परिणाम कुछ अपर्याप्तताओं को दर्शाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। इस अवधि के दौरान ट्राई को कुछ उपभोक्ता अभ्यावेदन

reflected some inadequacies resulting in issues for the consumers. TRAI also received quite a few consumer representations during this period. 'the Framework' changed quite a few business processes. As a result, many positives emerged. Consumers could exercise their choices like never before. All the stakeholders in the television distribution value chain were assured of their distinct revenue stream(s). The trust-based audit regime through third party empaneled auditors started functioning. These measures helped in enabling orderly growth of the sector. Yet, it was observed that a few service providers were making unfair use of the available flexibility of the framework. The Authority took up a consultative exercise to address these issues. After due consultation in the last quarter of 2019, TRAI notified the following amendments to the Regulatory Framework 2017, on 1st January 2020:

- The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Second Amendment) Order, 2017 (Tariff Amendment Order 2020)
- The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2017 (Interconnection Amendment Regulations, 2020)
- The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2017 (QoS Amendment Regulations, 2020)

Hereinafter, the above amendments are collectively referred to as 'the amended Framework 2020'

भी प्राप्त हुए। 'द फ्रेमवर्क' ने काफी कुछ व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बदल दिया। नतीजतन, कई सकारात्मक बातें सामने आयीं। उपभोक्ता अपनी पसंद का प्रयोग कर सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं किया। टेलीविजन वितरण मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों को उनकी विशिष्ट राजस्व धारा (धाराओं) का आश्वासन दिया गया था। तीसरे पक्ष के, सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों के माध्यम से विश्वास-आधारित लेखापरीक्षा व्यवस्था ने काम करना शुरू कर दिया। इन उपायों से क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सक्षम करने में मदद मिली। फिर भी, यह देखा गया कि कुछ सेवा प्रदाता ढांचे के उपलब्ध लचीलेपन का अनुचित उपयोग कर रहे थे। प्राधिकरण ने इन मुद्दों के समाधान के लिए एक परामर्शी अभ्यास किया। 2019 की अंतिम तिमाही में उचित परामर्श के बाद ट्राई ने 1 जनवरी 2020 को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2017 में



निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित किया:

- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश 2017 (टैरिफ आदेश 2017) (टैरिफ संशोधन आदेश 2020)
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (दूसरा संशोधन) विनियम 2017 (इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020)
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम 2017 (क्यूओएस संशोधन विनियम 2020)

इसके बाद, उपरोक्त संशोधनों को सामूहिक रूप से 'संशोधित फ्रेमवर्क 2020' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY



You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW!

Contact: Mob.: +91-7021850198 Tel.: +91-22-6216 5313 Email: scat.sales@nm-india.com

Important amendments as per 'the amended Framework 2020' are as follows:

- a) Increase in number of SD channels from 100 to 200 in the NCF of maximum Rs. 130/- per month.)
- b) More than 200 SD channels in the NCF of maximum Rs. 160/- per month.
- c) NCF for 2nd TV connection and onwards in multi TV homes not more than 40% of declared NCF per additional TV.
- d) Subscribers can choose a different set of channels for each TV connection in a multi TV home
- e) Broadcasters' freedom to fix the price of their channels continued
- f) Reduction of ceiling price on MRP of pay channels for inclusion in bouquet from Rs. 19/- to Rs. 12/-.
- g) Reasonable restrictions on number of bouquets offered by broadcasters - Number of bouquets of pay channels not to be more than number of pay channels offered by a broadcaster.
- h) MRP of a channel should not be more than the MRP of any bouquet containing that channel in order to bring further reasonableness in the bouquet formation and pricing.
- i) Flexibility to DPOs to declare different NCFs for different geographical regions/areas within their service areas
- j) DPOs may offer discounts on NCF and DRP on long term subscriptions of duration of 6 months and above.
- k) Reduced amount of carriage fee - 20 paise per subscriber per month for SD channels with a cap of Rs. 4 lakh per month payable by a broadcaster to a DPO in a month for carrying a channel in the country.

Some stakeholders challenged the amendments framework 2020. Provisions related to Network Capacity Fee (NCF), multi-TV homes and long-term subscriptions were challenged by All India Digital Cable Federation (AIDCF) and others in the High Court of Kerala. Provisions related to cap on MRP of a channel to be part of a bouquet, relationship between a-la-carte channels and bouquet pricing etc. were challenged by the Indian Broadcasting &

संशोधित रूपरेखा 2020 के अनुसार महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार से हैं:

- ए) अधिकतम 130रु प्रतिमाह के एनसीएफ में एसडी चैनलों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गयी।
- बी) अधिकतम 160रु प्रतिमाह के अधिकतम एनसीएफ में 200 से अधिक एसडी चैनल।
- सी) दूसरे टीवी कनेक्शन के लिए एनसीएफ और मल्टी टीवी घरों में प्रति अतिरिक्त टीवी घोषित एनसीएफ के 40% से अधिक नहीं।
- डी) सबक्राइवर एक मल्टी टीवी होम में प्रत्येक टीवी कनेक्शन के लिए चैनलों का एक अलग सेट चुन सकते हैं।
- ई) प्रसारकों को अपने चैनलों कीमत तय करने की स्वतंत्रता जारी रही
- एफ) बुके में शामिल करने के लिए पे-चैनलों के एमआरपी पर अधिकतम मूल्य को 19रुपये से घटाकर 12रुपये करना।
- जी) प्रसारकों द्वारा पेश किये जाने वाले बुके की संख्या पर उचित प्रतिबंध-पे चैनलों के बुके की संख्या प्रसारक द्वारा पेश किये जाने वाले पे-चैनलों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एच) बुके के निर्माण और मूल्य निर्धारण में और अधिक तर्कसंगतता लाने के लिए किसी चैनल का एमआरपी उस चैनल वाले किसी भी बुके के एमआरपी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आई) डीपीओ को उनके सेवा क्षेत्र के भीतर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों/क्षेत्रों के लिए अलग-अलग एनसीएफ घोषित करने की छूट।
- जे) डीपीओ 6 महीने और उससे अधिक की अवधि के दीर्घकालिक सबक्राइवर पर एनसीएफ और डीआरपी पर छूट दे सकते हैं।
- के) कैरिज शुल्क की घटी हुई राशि-एसडी चैनलों के लिए प्रति ग्राहक प्रति माह 20 पैसे, जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये प्रति माह है, जो देश में एक चैनल चलाने के लिए एक महीने में एक प्रसारक द्वारा डीपीओ को देय है।

कुछ हितधारकों ने संशोधन ढांचे 2020 को चुनौती दी। नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), मल्टी टीवी घरों और लंबी अवधि के सबक्राइवर से संबंधित प्रावधानों को ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और अन्य ने केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बुके का हिस्सा बनने के लिए किसी चैनल की एमआरपी पर कैप से संबंधित प्रावधानों, अ-लॉ-कार्टे चैनलों के बीच संबंध और बुके की कीमत आदि को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड

Digital Foundations (IBDF) and others in the High Court of Bombay.

After interim orders of the Hon'ble High Court of Kerala, the provisions related to Network Capacity Fee (NCF), multi-TV homes and long-term subscriptions contained in 'the amended Framework 2020' have been implemented. The consumers are availing due benefits of these amendments. Every consumer now gets 228 TV channels instead of 100 channels earlier, in a maximum NCF of Rs. 130/-. This resulted in a reduction of consumers' NCF for availing a similar number of channels by estimated Rs. 40/- to Rs. 50/-. In addition, the amendment in NCF for multi-TV homes has enabled further savings to the tune of 60% on second (and more) television sets.

As mentioned in para 5 some broadcasters and other stakeholders challenged 'the amended Framework 2020' in the Hon'ble High Court of Bombay vide Writ Petition (L) No. 116 of 2020 and other connected matters therewith.

Hon'ble High Court of Bombay, vide its Judgement dated 30th June 2021 upheld the validity of New Regulatory Framework 2020 except for the condition of the average test provided in the third proviso to sub-clause (3) of clause 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Second Amendment) Order, 2020 (herein after referred as Tariff Amendment Order 2020).

The petitioners in the said case at High Court of Bombay filed Special Leave Petitions (SLPs) in the Hon'ble Supreme Court of India, challenging the judgement dated 30th June 2021. No interim relief was granted by the Hon'ble Supreme Court. On 15th February 2022, the petitioners submitted an affidavit in Hon'ble Supreme Court for withdrawal of SLPs. Hon'ble Supreme court was pleased to grant permission for the withdrawal of the SLP and passed the following order on the same day:

"The Special Leave Petitions are dismissed as withdrawn. All questions of law open are kept open."

Meanwhile, considering that no interim relief was granted by Hon'ble Supreme Court on the judgement of Hon'ble Bombay Court, the Authority issued a letter dated 12th October 2021 (Annexure III) to all the broadcasters

डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) अन्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

केरल के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के बाद, 'संशोधित फ्रेमवर्क 2020' में निहित नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), मल्टी टीवी होम और लंबी अवधि के सब्सक्रिप्शन से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया है। उपभोक्ताओं को इस संशोधन का उचित लाभ मिल रहा है। प्रत्येक उपभोक्ता को अब अधिकतम 130 रुपये के एनसीएफ में 100 चैनल के बजाय 228 टीवी चैनल मिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप समान संख्या में चैनलों का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं के एनसीएफ

में अनुमानित 40 रुपये से 50 रुपये की कमी आयी। इसके अलावा मल्टी टीवी घरों के लिए एनसीएफ में संशोधन से दूसरे (और अधिक) टेलीविजन सेटों पर 60% की और बचत हुई है।

जैसाकि पैरा 5 में उल्लेख किया गया है कि कुछ प्रसारकों और अन्य हितधारकों ने 2020 में रिट याचिका (एल) संख्या 116 और उससे जुड़े अन्य मामलों के माध्यम से बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय में

'संशोधित फ्रेमवर्क 2020' को चुनौती दी।

माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने दिनांक 30 जून 2021 के अपने फैसले के तहत नये नियामक ढांचे 2020 की वैधता को बरकरार रखा, सिवाय इसके कि धारा 3 के उप-खंड (3) के तीसरे प्रावधान में प्रदान किये गये औसत परीक्षण की स्थिति को छोड़कर दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (द्वितीय संशोधन) आदेश 2020 (इसके बाद टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के रूप में संदर्भित)।

बॉम्बे के उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं ने 30 जून 2021 के फैसले को चुनौती देते हुए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकायें (एसएलपी) दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश नहीं दी गयी थी। 15 फरवरी 2022 को याचिकाकर्ताओं ने एसएलपी वापस लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी को वापस लेने की अनुमति देकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसी दिन निम्नलिखित आदेश पारित किया:

'विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। कानून के सभी सवालों को खुला रखा गया है।' इस बीच, इस बात पर विचार करते हुए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय बॉम्बे कोर्ट के फैसले पर कोई अंतरिम राहत



seeking compliance with the provisions of New Regulatory Framework 2020 as upheld by Hon'ble Court of Bombay, within 10 days. Consequently, most of the broadcasters submitted their Reference Interconnect Offer (RIOs) to TRAI in compliance with 'the amended Framework 2020'. As per extent provisions, these RIOs were also published on their websites in November 2021.

New tariffs announced by the major broadcasters reflected a common trend. The prices of their most popular channels, including the sports channels, were increased beyond Rs. 19/- per month. In compliance with the extant provisions, all such channels that are priced higher than Rs. 12/- (per month) have been kept out of bouquet. Accordingly, all the channels with maximum retails price above Rs. 12/- have been offered only on a-la-carte basis. The revised RIOs indicated wide-scale changes in composition of almost all the bouquets being offered.

As soon as the new RIOs were announced, TRAI started receiving representations from Distribution Platform Operators (DPOs), Associations of Local Cable Operators (LCOs) and Consumer Organizations. In General, the representations reflected that the new RIOs would entail hardships on distribution ecosystem, as service offerings for every consumer will require obtaining of new choices. Consumer organizations also raised the issue of impending rise in monthly bills. DPOs also highlighted difficulties likely to be faced by them in implementing new rates in their IT systems and migrating the consumers in bulk to the new tariff regime.

On the basis of the representations, TRAI extended the timelines for implementation and also started engaging with the stakeholders for facilitating the smooth implementation of the pending provisions of 'the amended Framework 2020'. It was impressed upon all the

नहीं दी गयी है, प्राधिकरण ने सभी प्रसारकों को दिनांक 12 अक्टूबर 2021 (अनुलग्नक 3) को एक पत्र जारी किया, जिसमें 10 दिनों के भीतर बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराये गये नये नियामक ढांचे 2020 के प्रावधानों के अनुपालन करने की मांग की गयी थी। नतीजतन, अधिकांश प्रसारकों ने 'संशोधित फ्रेमवर्क 2020' के अनुपालन में ट्राई को अपना रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) प्रस्तुत किया। सीमा प्रावधानों के अनुसार इन रियों को नवंबर 2021 में उनकी वेबसाइटों पर भी प्रकाशित किया गया था।

प्रमुख प्रसारकों द्वारा घोषित नये टैरिफ एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। खेल चैनलों सहित उनके सबसे लोकप्रिय चैनलों की कीमत में प्रतिमाह 19 रुपये प्रति माह से अधिक की वृद्धि हुई। मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में, ऐसे सभी चैनलों की कीमत 12 रुपये (प्रति माह) से अधिक है, को बुके से बाहर रखा गया। तदनुसार, 12 रुपये से अधिक अधिकतम खुदरा मूल्य वाले सभी चैनल केवल अ-लॉ-कार्टे आधार पर पेश किये गये हैं। संशोधित रियों ने पेश किये जा रहे लगभग सभी बुके की संरचना में व्यापक पैमाने पर बदलाव का संकेत दिया है।

नये रियों की घोषणा होते ही ट्राई को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ), एसोसिएशन ऑफ लोकल

केवल ऑपरेटर्स (एलसीओ) और उपभोक्ता संगठनों से अभ्यावेदन मिलना शुरू हो गया। सामान्य तौर पर, अभ्यावेदन दर्शाते हैं कि नये आरआईओ वितरण पारिस्थितिकी तंत्र पर कठिनाईयों का कारण बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए सेवा की पेशकश के लिए नया विकल्प प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उपभोक्ता संगठनों ने मासिक बिल में आसन्न वृद्धि की मुद्दा भी उठाया। डीपीओ ने अपने आईटी सिस्टम में नयी दरों को लागू करने और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को नयी टैरिफ व्यवस्था में स्थानांतरित करने में उनके सामने आने वाली संभावित कठिनाईयों पर भी प्रकाश डाला।

अभ्यावेदन के आधार पर, ट्राई ने कार्यान्वयन की समयसीमा बढ़ा दी और 'संशोधित रूपरेखा 2020' के लंबित प्रावधानों के सुचारु कार्यान्वयन की सुविधा के लिए हितधारकों के साथ जुड़ना भी शुरू कर



stakeholders that the migration to the amended Framework 2020 should not cause disruption of service to the consumers.

Through various representations and during the discussions of different associations (including LCO groups) held with TRAI, stakeholders raised various issues, inter-alia, as below:

- ❖ Every Distributor of the television channel would require to make major changes in their service offerings to align with new RIOs declared by broadcasters.
- ❖ Due to changes in composition of bouquets, almost every consumer would need to submit new choices to the distributor concerned through LCOs/ directly.
- ❖ The way new tariffs are structured, implementation entails wide scale changes in service configuration of the IT Systems by distributors.
- ❖ The transition would entail huge effort on the part of Local Cable Operators and consumers as well as on IT systems.

The stakeholders requested TRAI to take appropriate steps and ensure that consumers do not face hardships due to impending changes, including rise in monthly bills, caused by revised RIOs. In general, there was a view that TRAI may consider appropriate consultation to review certain provisions that are necessary for smooth implementation and consumers convenience.

To deliberate on the issues related to pending implementation of New Regulatory Framework 2020 and suggest a way forward, a committee consisting of members from Indian Broadcasting & Digital Foundation (IBDF), All India Digital Cable Federation (AIDCF) & DTH Association was constituted under the aegis of TRAI (Annexure IV). The broad terms of reference of the Committee were as below:

1. To look into the process of smooth implementation of New Regulatory Framework 2020 keeping in view consumers convenience in exercising informed choices and suggest measures thereof (if any).
2. To identify issues of concern and suggest measures for overall growth of the broadcasting sector.

The purpose of the committee was to provide a platform and facilitate discussions among various stakeholders to come out on a common agreed path for smooth implementation of Tariff Amendment Order 2020. Stakeholders were advised to come up with an implementation plan with minimum disruptions or hassles to the consumers.

दिया। सभी हितधारकों पर यह प्रभाव डाला गया कि संशोधित फ्रेमवर्क 2020 में माइग्रेशन से उपभोक्ता सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए।

विभिन्न अभ्यावेदनों के माध्यम से और ट्राई के साथ विभिन्न संघों (एलसीओ समूह सहित) की चर्चा के दौरान हितधारकों के विभिन्न मुद्दों को उठाया गया, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे बताये गये मुद्दे उठाये गये:

- ❖ प्रसारकों द्वारा घोषित नये रियो के साथ तालमेल बिटाने के लिए टेलीविजन चैनल के प्रत्येक वितरक को अपनी सेवा पेशकशों में बड़े बदलाव करने होंगे।
- ❖ बुके की संरचना में परिवर्तन के कारण, लगभग हर उपभोक्ता को एलसीओ के माध्यम से/सीधे संबंधित वितरक को नये विकल्प प्रस्तुत करने होंगे।
- ❖ जिस तरह नये टैरिफ तैयार किये गये हैं, उसके कार्यान्वयन के लिए वितरकों द्वारा आईटी सिस्टम्स के सर्विस कॉन्फिगुरेशन में व्यापक पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है।
- ❖ इस बदलाव के लिए स्थानीय केवल ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के साथ-साथ आईटी सिस्टम पर भारी प्रयास करने होंगे।

हितधारकों ने ट्राई से उचित कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि संशोधित आरआईओ के कारण मासिक बिलों में वृद्धि सहित आसन्न परिवर्तनों के कारण उपभोक्ताओं को कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। सामान्य तौर पर, यह विचार था कि ट्राई कुछ प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त परामर्श पर विचार कर सकता है जो सुचारू कार्यान्वयन और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आवश्यक है।

न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2020 के लंबित कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए ट्राई के तत्वाधान में (अनुबंध 4) इंडियन ब्रॉडकास्टिंग्स एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईवीडीएफ), ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था। समिति के संदर्भ की व्यापक शर्तें इस प्रकार थीं:

1. उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए नये नियामक ढांचे 2020 के सुचारू कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर गौर करना और उसके उपायों (यदि कोई हो) का सुझाव देना।
2. प्रसारण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए चिंता की मुद्दों का पहचान करना और उपाय सुझाना।

समिति का उद्देश्य एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना था और टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक सामान्य सहमत मार्ग पर विभिन्न हितधारकों के बीच चर्चा की सुविधा प्रदान करना था। हितधारकों को सलह दी गयी थी कि वे उपभोक्ताओं को न्यूनतम बाधाओं या बाधाओं के साथ एक कार्यान्वयन योजना के साथ आयें।

The committee held discussions on 23rd December 2021. Stakeholders listed the following issues which, in their opinion, required review:

- a. The proposed tariffs by broadcasters through their RIOs submitted in compliance to NTO 2.0 Tariff Orders would cause a significant increase in the tariffs to consumers. The consumer price rise, if any, is required to be limited to a reasonable limit.
- b. The proposed RIOs by Broadcasters may cause significant changes in the packages, especially due to keeping popular channels at higher a-la-carte prices, not being part of bouquets. This enjoins DPO to make very large number of plans and package offerings. Therefore, the DPOs require support from broadcasters so that they do not have to make large number of plans/ bouquets.
- c. Considering the facts mentioned above, there is a need to simplify the process of exercising choices by consumers so that no channel should be provided to consumers without explicit consent. Consumers should have the facility to remove any channel.
- d. The same product (television Channel) should be offered at the same price whether on Linear Television, Free Dish or Subscription based Video on Demand.
- e. Stakeholders suggested that more than two years have passed since NTO 2.0 amendments and more than three years have passed with NTO 1.0 implementations, since then, there is no change in prices of bouquet or a-la- carte channels. This has kept industry under stress in terms of providing quality products to the end consumers. As such restoring the MRP ceiling for bouquet inclusion to unamended tariff order level of Rs. Nineteen (19/-) would be appropriate.
- f. The above provision shall also help in maintaining bouquet structure by ensuring all popular channels are within ceiling limits of bouquet. Additionally, this will also create bare minimum hassles to consumers in exercising their choices under new tariffs, as most of the tariffs may continue in their current form.
- g. Allowing additional fifteen (15%) percent incentive to DPOs for bouquets as well, as has been provided for a-la-carte channel (It was pointed by the chair that the said provision pertains to Interconnection regulations and is not part of Tariff Order).

समिति ने 23 दिसंबर 2021 को चर्चा की। हितधारकों ने निम्नलिखित मुद्दों को सूचीबद्ध किया, जिनकी राय में, समीक्षा की आवश्यकता है:

- ए. एनटीओ टैरिफ आदेशों के अनुपालन में प्रस्तुत किये गये अपने आरओआई के माध्यम से प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बनेंगे। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो, को उचित सीमा तक सीमित करने की आवश्यकता है।
- बी. प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित रिये पैकेजों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं, विशेष रूप से लोकप्रिय चैनलों को ए-लॉ-कार्टे कीमतों पर रखने के कारण, बुके का हिस्सा नहीं होने के कारण। यह डीपीओ को बहुत बड़ी संख्या में योजनायें और पैकेज पेशकश करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए, डीपीओ को प्रसारकों से समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें बड़ी संख्या में योजनायें/बुके न बनाने पड़े।
- सी. ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं द्वारा विकल्पों के प्रयोग की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि स्पष्ट सहमति के बिना उपभोक्ता को कोई चैनल प्रदान न किया जाये। उपभोक्ताओं के पास किसी भी चैनल को हटाने की सुविधा होनी चाहिए।
- डी. एक ही उत्पाद (टेलीविजन चैनल) को एक ही कीमत पर पेश किया जाना चाहिए, चाहे वह लीनियर टीवी हो, फ्री डिश या सबस्क्रिप्शन आधारित वीडियो ऑन डिमांड हो।
- ई. हितधारकों ने सुझाव दिया कि एनटीओ 2.0 संशोधनों के बाद से दो साल से अधिक समय बीत चुका है और एनटीओ 1.0 कार्यान्वयन के साथ तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, तब से बुके या अ-लॉ-कार्टे चैनलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसने अंतिम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने के मामले में उद्योग को दबाव में रखा है। इस तरह बुके में शामिल करने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य को उन्नीस रुपये (19 रुपये) के असंशोधित टैरिफ ऑर्डर स्तर पर बहाल करना उचित होगा।
- एफ. उपरोक्त प्रावधान सभी लोकप्रिय चैनलों को बुके की अधिकतम सीमा के भीतर सुनिश्चित करके बुके संरचना को बनाये रखने में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, यह उपभोक्ता को नये टैरिफ के तहत अपनी पसंद का प्रयोग करने में न्यूनतम परेशानी भी पैदा करेगा, क्योंकि अधिकांश टैरिफ अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रह सकते हैं।
- जी. बुके के लिए भी सभी डीपीओ को अतिरिक्त पंद्रह (15%) प्रतिशत प्रोत्साहन की अनुमति देना, जैसेकि अ-लॉ-कार्टे चैनल के लिए प्रदान किया गया है (अध्यक्ष द्वारा यह बताया गया था कि उक्त प्रावधान इंटरकनेक्शन विनियमों से संबंधित है और टैरिफ आदेश का हिस्सा नहीं है)

- h. The second twin condition may be reviewed to enhance the discount on sum of MRP of a-la-carte of pay channels forming part of the bouquet to fifty percent. This will enable the broadcasters to cross-subsidize the packages.
- i. Revision in the ceiling of Network Capacity Fee (NCF) of Rs 130/-.
- j. In case of multi-TV homes, broadcasters should also offer MRP of their channels for each additional TV connection, beyond the first TV connection, @ 40% of the MRP declared for the first TV connection. This will help consumers in saving cost of subscribing to pay channels on multiple televisions.
- k. Review of ceiling of fifteen percent (15%) on discount on sum of a-la-carte channels of MRP of that bouquet available for DPOs.
- l. Stakeholders suggested that TRAI should take immediate corrective measures and implement revised tariff by 1st April 2022. All DPOs present insisted that to properly implement new tariffs they will require sufficient time as prescribed.

The Stakeholders' Committee, however, requested TRAI to immediately address critical issues so that minimum hardship is caused to the consumers in implementation of Tariff Amendment Order 2020. Stakeholders also listed other issues for subsequent consideration by TRAI. All the members of the stakeholders' committee observed that urgent action is required to manage a smooth transition and to avoid inconvenience to consumers.

In order to address the issues as identified by the stakeholders' committee; TRAI issued the consultation paper on 'Issues related to New Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services' on 7th May 2022 for seeking stakeholders' comments on points/issues which are pending for implementation of 'the amended Framework 2020'. Comments and counter comments received from stakeholders were placed on TRAI's website. This was followed by an open house discussion in New Delhi on 8th September 2022.

The following issues were placed for consultation:

- A. Ceiling on MRP of TV Channels
- B. Condition(s) for inclusion of a television channel in a bouquet
- C. Discount structure on Bouquet pricing
- D. Additional discount offered by broadcasters to DPOs ■

एच. बुके का हिस्सा बनने वाले पे चैनलों के अ-लॉ-कार्टे के अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट को पचास प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए दूसरी जुड़वां शर्त की समीक्षा की जा सकती है। इससे प्रसारकों को पैकेजों को क्रॉस-सब्सिडी देने में मदद मिलेगी।

आई. नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) की अधिकतम सीमा 130 रु में संशोधन।

जे. एक से अधिक टीवी वाले घरों के मामले में, प्रसारकों को पहले टीवी कनेक्शन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए अपने चैनलों के एमआरपी की पेशकश करनी चाहिए, पहले टीवी कनेक्शन के लिए घोषित एमआरपी के 40% पर। इससे उपभोक्ताओं को कई टेलीविजन पर पे-चैनलों की सदस्यता लेने की लागत बचाने में मदद मिलेगी।

के. डीपीओ के लिए उपलब्ध उस बुके के अ-लॉ-कार्टे चैनलों के एमआरपी पर छूट पर पंद्रह प्रतिशत (15%) की सीमा की समीक्षा।

एल. हितधारकों ने सुझाव दिया कि ट्राई को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने चाहिए और 1 अप्रैल 2022 तक संशोधित टैरिफ को लागू करना चाहिए। उपस्थित सभी डीपीओ ने जोर देकर कहा कि नये टैरिफ को ठीक से लागू करने के लिए उन्हें निर्धारित समय के अनुसार पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी।

हितधारक समिति ने, हालांकि, ट्राई से महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत हल करने का अनुरोध किया ताकि टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के कार्यान्वयन में उपभोक्ताओं को कम से कम कठिनाई हो। हितधारकों ने ट्राई द्वारा बाद के विचार के लिए अन्य मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया। हितधारकों की समिति के सभी सदस्यों ने पाया कि एक सुचारू परिवर्तन का प्रबंधन करने और उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए तत्काल कर्वावाई की आवश्यकता है।

हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गये मुद्दों के समाधान के लिए, ट्राई ने 7 मई 2022 को 'संशोधित फ्रेमवर्क 2020' के कार्यान्वयन के लिए लंबित बिंदुओं/मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नये नियामक द्वांचे से संबंधित मुद्दे पर परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर रखा गया था। इसके बाद 8 सितंबर 2022 को नयी दिल्ली में एक ओपन हाउस चर्चा हुई।

परामर्श के लिए निम्नलिखित मुद्दे रखे गये थे:

- ए. टीवी चैनलों की अधिकतम खुदरा मूल्य सीमा
- बी. किसी बुके में टेलीविजन चैनल को शामिल करने की शर्त (शर्तें)
- सी. बुके मूल्य निर्धारण पर छूट संरचना
- डी. प्रसारकों द्वारा डीपीओ को दी जाने वाली अतिरिक्त छूट ■